विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए करार

(पी.टी. डब्लू. के सभी भार के लिए, औद्योगिक और अन्य संवर्ग में भार 25 के.डब्लू से अधिक/समान होगा)

यह करार .....के .....दिन को

(वितरण कम्पनी का नाम), कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन निगमित कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय .....उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री .....एतस्मिन् पश्चात अनुज्ञप्तिधारी के रूप में निर्दिष्ट) जिस पद का तात्पर्य हित उत्तराधिकारी, नामांकिती और समनुदेशिती होगा और ये शमिल होगें, जब तक उसके विषय या सन्दर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो) एक ओर

छूसरी ओर व्यक्तिगत/भागीदारी उपक्रम/स्वत्वधारी उपक्रम/संस्थान/न्यास /समिति/हिन्दू संयुक्त परिवार/निगमित निकाय/कम्पनी/सरकारी निकाय (उसे काट दीजिए, जो लागू न हो) जो.....अधिनियम के अधीन निगमित है और श्री..... .....(नाम और पदनाम), जिसे एतस्मिन्पश्चात् '' उपभोक्ता '' कहा जाएगा (जिसका तात्पर्य हित उत्तराधिकारी, नामांकिती और समनुदेशिती से है और वे इसमें शामिल है, जब तक उसके विषय या सन्दर्भ या अर्थ में प्रतिकूल न हो),

के बीच निष्पादित किया जाता है।

चूकिः

1. अनुज्ञप्तिधारी अन्य बातों के साथ–साथ विद्युत की आपूर्ति करने के कारबार में संलग्न है और उसे भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है और वर्तमान में अपने अनुज्ञप्त क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न उपभोक्ताओं को ऊर्जा के वितरण और/या फुटकर आपूर्ति और/या थोक आपूर्ति के लिए विद्युत अधिनियम 2003 (एतस्मिनपश्चात अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 14 के प्रथम परन्तुक के अधीन अनुज्ञप्तिधारी माना जाता है।
2. उपभोक्ता दिनांक .....के आवेदन द्वारा ..... प्रयोजन के लिए.....के सम्बन्ध में .....में स्थित अपने परिसर .....(एतस्मिन पश्चात उक्त परिसर के रूप में निर्दिष्ट में विद्युत संस्थापन) .....के.डब्लू./बी.एच.पी./के.वी. ए. के भार के लिए ऊर्जा की आपूर्ति (एतस्मिन्पश्चात संविदात्मक भार के रूप में निर्दिष्ट) प्राप्त करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष आवेदन किया है।

   (उसे काट दीजिए जो लागू न हो)

   (क) घेरलू प्रकाश, पंखा और ऊर्जा (एल.एम.वी.–।)
   (ख) गैर घरेलू प्रकाश, पंखा और शक्ति (एल.एम.वी.–।)
   (ग) सार्वजनिक प्रकाश (एल.एम.वी.–3)
   (घ) सार्वजनिक संस्थान (एल.एम.वी.–4)

(ड़) सार्वजनिक संस्थानों के लिए प्रकाश, पंखा और शक्ति (एल.एम.वी.–4 ए)
(च) व्यक्तिगत संस्थानों के लिए प्रकाश, पंखा और शक्ति (एल.एम.वी.–4 बी.)
(छ) सिचाई प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत नलकूपों/पंपिंग सेटों के लिए कम शक्ति (एल.एम.वी.–5)
(ज) कम और मध्यम शक्ति (शक्ति या निर्बन्धित/अनिर्बन्धित उपयोग) (एल.एम. वी.–6)
(झ) सार्वजनिक जल कार्य (एल.एम.वी.–7)
(ञ) राज्य नलकूप, विश्व बैंक नलकूप और पम्प नहर (एल.एम.वी.–8)
(ट) अस्थायी आपूर्ति (एल.एम.वी.–9)
(ठ) बड़ी और भारी शक्ति (शक्ति का निर्बन्धित/अनिर्बन्धित प्रयोग) (एच.वी.–2)
(ड) रेवले (एच.वी.–3)

और अनुज्ञप्तिधारी ऊर्जा की ऐसी आपूर्ति प्रदान करने के लिए समहत हुआ है। दर अनुसूची, जैसा कि ऊपर है, नवीनतम टैरिफ आदेश के अनुसार होगा।

अब यह करार देखा जाता है और एतद्धद्वारा पक्षकारों द्वारा और के बीच निम्नलिखित करार किया जाता है, घोषणा की जाती है और अभिलिखित किया जाता है :

1. यह करार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस करार के अधीन उपभोक्ता को आपूर्ति के प्रारम्भ की तारीख से 2 (दो) वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए प्रभावी होगा।
2. (क) उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को सभी प्रभारों का भुगतान करेगा, जैसाकि प्रवर्तित टैरिफ (या दर) अनुसूची में इसके लिए अनुबन्धित है, जैसाकि समय –समय से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एतस्मिन पश्चात आयोग के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा अनुमोदित है, जिसमें उसकी आपूर्ति को शासित करने वाले टैरिफ (दर) अनुसूची के अधीन शर्तो में से किसी के उल्लघंन की स्थिति में उपभोक्ता द्वारा संदेय कोई दाण्डिक या अतिरिक्त प्रभार शामिल है।

   (ख) पूर्वोत्त प्रभारों के अतिरिक्त, उपभोक्ता अन्य कानूनी शुल्को का भी भुगतान करेगा, जिसमें विद्युत शुल्क कर, प्रभार, अधिभार इत्यादि है, जैसाकि समय–समय से लागू हो।
3. उपभोक्ता एतदद्धारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निम्न रूप में वचन देता है, प्रतिनिधित्व करता है, आश्वासन देता है, अपेक्षा करता है, करार करता है और प्रसंविदा करता है :
   1. उपभोक्ता आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 (एतस्मिन पश्चात संहिता के रूप में निर्दिष्ट) के सभी निबन्धनों और शर्तो और उसके संशोधनों/पुनरीक्षिणों और अधिनियम के प्रावधानों के साथ अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावली तथा भारतीय विद्युत नियमावली 1956, जिसमें उसका उपान्तरण शामिल है, का अनुपालन करेगा और से बाध्य होगा, जब तक वे उपभोक्ता को लागू है।
   2. अनुज्ञप्तिधारी किसी ढ़ंग में, चाहे जो भी हो और जैसे भी हो, अपने नियन्त्रण के परे कारणों से आपूर्ति की कटौती, व्यवधान, स्थगन, कमी या रोक और अपने नियन्त्रण से परे कारणों से आपूर्ति की असफलता से उद्भूत क्षति या नुकसानी के कारण किसी दावा के लिए उत्तरदायी निर्णीत नहीं किया जाएगा, जिसमें शामिल है किन्तु निर्बन्धन

की शर्तो पर सीमित नहीं है, जो उस तक सीमित होगा, जैसा कि संहिता में प्रावधान किया गया है।

3. उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके परिसर में आपूर्ति की गयी ऊर्जा की गयी का उपयोग विधि और प्राधिकार के अनुसार किया जाता है और उपकरण में अप्राधिकृत वृद्धि/परिवर्तन नहीं है। यदि अनुज्ञप्तिधारी को यह समझने या आशंका करने का युक्तियुक्त आधार है कि किसी तरह चाहें, जो भी हो उक्त शर्तो का उल्लंघन है, तो अनुज्ञप्तिधारी के अभिहित प्राधिकारी सामान्य निरीक्षण और उपकरण, मीटर तथा वायंरिग इत्यादि के परीक्षण के लिए उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

4. उपभोक्ता यह आश्वासन देगा कि मीटर, मीटर बोर्ड, सेवा स्त्रोत परिपथ एम.सी.बी./सी.बी., भार सीमांकन इत्यादि किसी परिस्थिति में अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत कर्मचारी/प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्तचालित नहीं किया जाता या हटाया नहीं जाता। सील, जो मीटर/मापने के उपकरण, भार सीमांकन और अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण पर लगाया गया है, इसी तरह दूषित क्षतिग्रस्त या तोड़ा नहीं जाना चाहिए। अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण और उपभोक्ता के परिसर के अन्तर्गत मीटर/माप करने के उपकरण पर सील की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायित्व उपभोक्ता पर होगा। उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी कार्य, उपेक्षा या व्यक्तिक्रम के कारण उपभोक्ता के परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण को कारित किसी क्षति की स्थिति में उसका खर्च, जैसाकि अनुज्ञप्ति द्वारा दावाकृत है, उपभोक्ता द्वारा संदेय होगा।

5. उपभोक्ता लिखित में अनुज्ञप्तिधारी को सूचना देगा (जैसाकि संहिता में इसके लिए प्रावधान किया गया है) यदि वह उक्त परिसर या उसके किसी भाग को खाली करने के लिए आशय रखता है, जिसके लिए विद्युत संयोजन अनुज्ञप्तिधारी से ग्रहण किया गया है।

4. (क) इसके अधीन अपेक्षित या अनुमत सभी नोटिस/सूचना लिखित में होगी और संहिता में इसके लिए विहित प्रारूप में भेजी जाएगा। नोटिस कोरियर, पंजीकृत डाक, त्वरित डाक, फैक्स, व्यक्तिगत परिदान, चिपकाने और समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा भेजी जा सकेगी। नोटिस पंजीकृत और त्वरित डाक द्वारा परिदान के मामले में डाकघर रसीद, कोरियर मेल द्वारा द्वारा प्रेषण की तारीख से 4 (चार) दिनों के अवसान पर और व्यक्तिगत परिदान के मामले में उपभोक्ता या उसके कर्मचारियों के प्रतिनिधि द्वारा उसकी रसीद के साथ और समाचार पत्र में प्रकाशन के मामले में ऐसे समाचार पत्र के प्रकाशन की तारीख पर साथ ही चिपकाने के मामले में उक्त परिसर के सहजदृश्य स्थान पर ऐसी नोटिस के चिपकाने के साथ ही उपभोक्ता द्वारा प्राप्त किया गया माना जाएगा।

(ख) लेकिन अनुज्ञप्तिधारी से मासिक विद्युत उपभोग बिल के भुगतान के लिए किसी पृथक नोटिस को जारी करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और ऐसा बिल उसमें वर्णित धनराशि के भुगतान के लिए''बिल तथा नोटिस '' होना माना जायेगा।

5. बकाया कम्पनी की परिसम्पत्ति पर प्रभार होगा। विक्रय किए जाने के पूर्व बकाये का भुगतान किया जाएगा और विकल्प में करार/विक्रय–विलेख विनिर्दिष्ट रूप से बकाये और उसके भुगतान के ढंग का उल्लेख करेगा।
6. यदि उपभोक्ता घोषणा/करार के निष्पादन के बाद अपने भार में कमी या वृद्धि करता है या प्रयोग के प्रयोजन को परिवर्तित करता है या अपने संयोजन को अन्तरित करता है तो उसे नई घोषणा/करार को निष्पादित करना होगा, जो नये संयोजन के समय पर निष्पादित करार की तरह दो वर्ष के लिए विधिमान्य होगा। लेकिन, दर अनुसूची/आयोग/डिस्कॉम में उपबन्धित कोई अनुतोष/रियासत, जो नए संयोजन में ग्राहा है, उक्त रूप में परिसर में परिवर्तन/भार की कमी के कारण नये करार/घोषणा के निष्पादन पर ग्राहा नहीं होगा।
7. माध्यस्थम : यदि इस करार के पक्षकारों के बीच इसमें अन्तर्विष्ट किसी प्रावधान या खण्ड के निर्वचन या प्रभाव या उसके अर्थान्वयन के सम्बन्ध में या किसी तरह से इस करार से सम्बन्धित या से उद्भूत किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में या उसके प्रवर्तन के सम्बन्ध में या उसके सम्बन्ध में दोनो पक्षकार के अधिकारों, कर्तवयों या दायित्वों के सम्बन्ध में कोई प्रश्न या विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है, तो सेवा प्रश्न, विवाद या मतभेद डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक या उसके द्वारा नांमाकित व्यक्ति को माध्यस्थम में निर्दिष्ट किया जाएगा और उक्त मध्यस्थ का नामांकिती द्वारा किसी उपेक्षा या नामंजूरी के मामले में डिस्कॉम का प्रबन्ध निदेशक एकमात्र मध्यस्थ के रूप में विवाद में कार्यवाही करने के लिए अपने स्थान पर अन्य व्यक्ति को नाम निर्देशित कर सकता है :

   परन्तु यदि प्रश्न, विवाद या मतभेद इस करार के निबन्धनों में उपभोक्ता पर प्रभाग्र किसी बकाये से सम्बन्धित है, तो माध्यस्थम को कोई निर्देश उपभोक्ता के निर्देश पर उपभोक्ता के विवादास्पद बकाये की धनराशि नकदी में/बैंक ड्राफ्ट द्वारा अनुज्ञप्तिकारी के पास निक्षेप किए जाने तक नहीं किया जाएगा।
8. यह करार विद्युत अधिनियम 2003 द्वारा उसके सभी संशोधनों, भारत में तत्समय प्रवर्तित विभिन्न अन्य विधियों द्वारा शासित किया जाएगा, किन्तु यू.पी.ई.आर.सी. के विभिन्न विनियमों तक सीमित नहीं होगा, जैसाकि उ.प्र. राज्य में लागू है, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होगा।
9. स्टाम्प लगाने पर (केवल 100 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प कागजात) पर व्यय उपभोक्ता द्वारा इस करार के लिए किया जाएगा, जिसे रजिस्ट्रीकृत किए जाने की आवश्कता नहीं है।

जिसके साक्ष्य में पक्षकार ने नीचे उल्लिखित साक्षियों की उपस्थिति में पहले उक्त लिखित रूप में स्थान, दिन, मास और वर्ष में इसे निष्पादित किया है।

नामित अनुज्ञप्तिधारी (वितरण कम्पनी का नाम) श्री .....(नाम और पदनाम) के माध्यम से दिनांक .....के परिषद् के प्रस्ताव द्वारा सम्यक रूप में प्राधिकृत .....मे हस्ताक्षरित और परिदत्त किया गया ।

नामित उपभोक्ता.....द्वारा श्री .....(नाम और पदनाम) के माध्यम से दिनांक .....के परिषद के प्रस्ताव/न्यास /विलेख/भागीदारी विलेख(उसे काट दीजिए, जो लागू नहीं है) द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत.....में हस्ताक्षरित और परिदत्त।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में–

1. .....

2.....

3.....